प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा संख्या 3238/2024

1 – रवींद्र चंद देवनाथ पिता बीफाल चंद्र देवनाथ, 60 वर्ष निवासी पर्ल हाइट्स, ए 2 टावर, क्वार्टर सं 203, अपोलो अस्पताल पिता पास, लिंगियाडीह, बिलासपुर, छ.ग., 495006

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अपने अध्यक्ष के द्वारा , कॉर्पोरेट कार्यालय, सेक्टर 24, अटल नगर, नया रायपुर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – महाप्रबंधक (एन. डब्ल्यू.–2)–सह–अनुशासनिक प्राधिकरण छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, सेक्टर–24, अटल नगर, नया रायपुर, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

3 – शाखा प्रमुख छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, शाखा धौरभट्ट, जिलाःरायगढ़, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु :श्री विजय,अधिवक्ता ,श्री आदेश गिरी,अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण हेतु :श्री सब्यसाची भादुड़ी, अधिवक्ता।

(माननीय श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश)

पीठ पर आदेश

07/04/2025

1. वर्तमान रिट याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना करता हैः---"

"10.1 उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता की जब्त की गई संपूर्ण अवकाश नकदीकरण राशि जारी करने का निर्देश देते हुए परमादेश जारी करने कि कृपा करें;

10.2 उत्तरवादी बैंक द्वारा संपूर्ण अवकाश नकदीकरण जब्त करने के आदेश को रद्द करने कि कृपा करें, क्योंकि उसने अधिकारी सेवा विनियम 2013 के विपरीत और बिना किसी वैध और उचित कारण के आदेश पारित किया गया है।

10.3 यह कि यह माननीय न्यायालय दिनांक 02/02/2023 (अनुलग्नक पी-7) के आक्षेपित आदेशों और दिनांक 01/01/2024 (अनुलग्नक पी-10) के आक्षेपित आदेशों को उस सीमा तक रद्द करने की कृपा करे, जिसके तहत उत्तरवादीगण ने अवकाश नकदीकरण जब्त करने का आदेश दिया है, जिसे याचिकाकर्ता प्राप्त करने का विधिवत हकदार है।

10.4 यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य अनुतोष /आदेश/निर्देश प्रदान करने की कृपा करे, जो प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्याय के हित में उपयुक्त और उचित समझा जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता का प्रकरण , जैसा कि रिट याचिका में पेश किया गया है, यह है कि याचिकाकर्ता को शुरू में उत्तरवादी/बैंक में वर्ष 1991 में कार्यालय सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद वर्ष 2015 में अधिकारी स्केल-I के पद पर पदोन्नत किया गया था। उनके अनुसार, शाखा प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति के दौरान, कुछ वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच की गई थी। उक्त विभागीय जांच में याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध पाए गए हैं।इसके बाद 26/12/2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें बर्खास्तगी के दंड का प्रस्ताव दिया गया, जो सामान्यतः भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता होगी। याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और कारण बताओ नोटिस की विषय-वस्तु से इनकार किया। हालांकि, अधिकारियों ने दिनांक 02/02/2023 के आदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ राजय ग्रामीण बैंक अधिकारी और कर्मचारी सेवा विनियम, 2013 (संक्षेप में 'विनियम') के नियम 39(1)(बी)(iii) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया और संपूर्ण अवकाश नकदीकरण राशि जब्त करने का भी आदेश दिया गया।उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की, जिसे

01/01/2024 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।अतः, यह याचिका प्रस्तुत किया गया है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विनियम 67 में अवकाश समाप्ति का प्रावधान है। विनियमन 67 के अनुसार, जब बैंक का कोई कर्मचारी सेवा से बाहर हो जाता है, तो वह अपने खाते में उपलब्ध विशेषाधिकार अवकाश की अवधि के लिए सभी भत्ते और वेतन पाने का हकदार है और इसलिए, प्रस्तुत किया कि विनियम 67 में ऐसा कोई खंड नहीं है, जो याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण का लाभ उठाने से वंचित करता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खाते में कई अवकाश थे और इसलिए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के बावजूद, याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था।

4. इसके विपरीत, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सेवा अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने गंभीर वित्तीय अनियमितताएं कीं तथा बैंक/उत्तरवादी को भारी नुकसान पहुंचाया। विभागीय जांच में भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध पाए गए हैं, इसलिए विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति तथा अवकाश नकदीकरण जब्त करने का दंड लगाते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विनियम, 2013 के विनियम 67 के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी को सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड से दंडित किया गया है, तो वह बैंक की सेवा में नहीं रह जाता है, तो उसका अवकाश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा तथा वह अवकाश नकदीकरण का हकदार नहीं होगा इस प्रकार, वर्तमान प्रकरण में भी अवकाश को भुनाने का आदेश पारित किया गया है।यह उचित और न्यायसंगत है तथा इसमें किसी भी प्रकार की अवैधता नहीं है।वह रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करते है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, तर्क तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. सुविधा के लिए, विनियमन, 2013 के विनियमन 67 को उद्धृत करना उचित होगा,जो इस प्रकार है :–

67. अवकाश की समाप्ति – किसी अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु होने पर या यदि वह बैंक की सेवा में नहीं रहता है, तो समस्त अवकाश समाप्त हो जाएंगी;परंतु कि जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा में मृत्यु हो जाती है, वहां उसके विधिक प्रतिनिधियों को ऐसी रकम देय होगी जो उस अधिकारी या कर्मचारी को इस प्रकार देय होती मानो उसने विनियम 61 के उप–विनियम (4) के अधीन रहते हुए अपनी मृत्यु के समय संचित विशेषाधिकार अवकाश का लाभ उठाया हो। आगे यह भी प्रावधान है कि जहां कोई कर्मचारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है, वहां वह विनियम 61 के उप–विनियम (4) के अधीन रहते हुए अपने द्वारा संचित विशेषाधिकार अवकाश की अवधि के लिए परिलब्धियों के बराबर

राशि का भुगतान पाने का पात्र होगा। यह भी प्रावधान है कि कर्मचारी के संबंध में जहां उसकी सेवाएं छंटनी के कारण समाप्त हो जाती हैं, उसे उसके खाते में जमा विशेषाधिकार अवकाश की अवधि के लिए वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

7. विनियम–67, जो छुट्टी की समाप्ति से संबंधित है, यह प्रावधान करता है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु होने पर या उसके सेवा में न रहने पर उसकी सभी छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी।

8. विनियम–67 के तीसरे प्रावधान में एक अपवाद बनाया गया है, जो यह प्रावधान करता है कि कर्मचारी के संबंध में, जहां उसकी सेवाएं छंटनी के कारण समाप्त हो जाती हैं, उसे उसके खाते में जमा विशेषाधिकार छुट्टी की अवधि के लिए वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा।विनियमन–67 में सेवा समाप्ति की विभिन्न परिस्थितियों के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। विनियमन–67 में विभिन्न दंडों के बारे में भी नहीं बताया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सेवा समाप्ति होती है। विनियमन–67 का तीसरा प्रावधान केवल छंटनी के कारण सेवा समाप्ति से संबंधित है और उक्त प्रावधान में यह प्रावधान किया गया है कि छंटनी के कारण सेवा समाप्ति के मामलों में कर्मचारी अवकाश नकदीकरण का हकदार होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अवकाश नकदीकरण के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए, सबसे पहले यह मूल्यांकन करना आवश्यक है कि अवकाश नकदीकरण याचिकाकर्ता की संपत्ति है या नहीं।

10. विनियमन–61 स्पष्ट शब्दों में यह दर्शाता है कि एक कर्मचारी कुछ दिनों की अवधि के लिए कर्तव्य के प्रदर्शन पर अवकाश अर्जित करता है और इसलिए, विनियमन–61 के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, एक कर्मचारी विशेषाधिकार अवकाश के लिए हकदार हो जाता है, जो बदले में उसे पूरे परिलब्धियों के लिए हकदार बनाता है, जैसे कि वह सेवा पर था। इसलिए, ऐसा विशेषाधिकार अवकाश, जिसे कर्मचारी ने अर्जित किया है, उसकी संपत्ति बन जाता है और वैधानिक नियम के अभाव में ऐसी संपत्ति से वंचित करने की अनुमति नहीं है।पेंशन से संबंधित एक प्रश्न **डी.एस. नकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ (1983) 1एससीसी 305** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः–

"31.चर्चा से तीन बातें सामने आती हैंः

(i) पेंशन न तो कोई उपहार है और न ही नियोजक की इच्छा पर निर्भर रहने वाली कृपा है, तथा यह 1972 के नियमों के अधीन एक निहित अधिकार का सृजन करती है, जो कि प्रकृति में वैधानिक हैं, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियमित किए गए हैं; (ii) पेंशन कोई अनुग्रह भुगतान नहीं है**,** बल्कि यह पूर्व में की गई सेवा के लिए भुगतान है**;** तथा **(iii) यह एक सामाजिक कल्याण उपाय है, जो उन लोगों को**

सामाजिक–आर्थिक न्याय प्रदान करता है, जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोजक के लिए इस आश्वासन पर निरंतर परिश्रम किया कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेंशन की मात्रा सेवा के अंतिम तीन वर्षों के दौरान प्राप्त औसत पारिश्रमिक से संबंधित एक निश्चित प्रतिशत है जिसे उदार पेंशन योजना के तहत घटाकर दस महीने कर दिया गया है। इसका भुगतान आवश्यकता के बाद भी त्रुटिहीन आचरण की एक अतिरिक्त शर्त पर निर्भर करता है, अर्थात सेवा के अनुबंध की समाप्ति के बाद से और इसे अनुशासनात्मक उपाय के रूप में कम किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।

11. सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान वैधानिक नियमों के अधीन सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने **देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य (1971) 2 एससीसी 330** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पहले के निर्णय का भी उल्लेख किया है ।

12. इसलिए, पेंशन और अवकाश नकदीकरण जैसे लाभ कर्मचारी द्वारा अर्जित किए जाते हैं और इसलिए, एक बार ऐसे लाभ अर्जित हो जाने पर, वे कर्मचारी की संपत्ति बन जाते हैं और यदि किसी कर्मचारी को ऐसी संपत्ति से वंचित किया जाता है, तो इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों में विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. सर्वोच्च न्यायालय ने **झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य (2013) 12 एससीसी 210** के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 300–ए के प्रावधानों पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि संपत्ति के अधिकार को विधि की उचित प्रक्रिया के बिना नहीं छीना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका–14 में निम्न प्रकार से यह अभिनिर्धारित किया है:–––

"14. भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 ए निम्नानुसार है:"300 ए. विधि के अधिकार के अलावा संपत्ति से वंचित नहीं होने वाले व्यक्ति।– विधि के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।एक बार जब हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो इस निर्णय की शुरुआत में हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट हो जाता है। किसी व्यक्ति को विधि के अधिकार के बिना इस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 300 ए में निहित संवैधानिक जनादेश है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता द्वारा किसी भी वैधानिक प्रावधान के बिना और प्रशासनिक निर्देश के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी या यहां तक कि छुट्टी के नकदीकरण का हिस्सा छीनने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

14. उपर्युक्त विधि के प्रावधान के अनुसार, किसी कर्मचारी को अवकाश नकदीकरण का अधिकार है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के प्रावधान के अनुसार, वैधानिक प्रावधानों के अनुसार

अर्जित करने पर कर्मचारी की संपत्ति बन जाता है और इसलिए, ऐसे अधिकार को केवल किसी अन्य वैधानिक प्रावधान द्वारा सीमित किया जा सकता है, जो नियोक्ता को उसे जब्त करने या रोक लेने का अधिकार देता है।

15. वर्तमान प्रकरण में नियोक्ता का यह पक्ष है कि विनियम–67 के अनुसार, हटाए जाने की स्थिति में, कर्मचारी अवकाश नकदीकरण का हकदार नहीं है और वर्तमान मामले में नियोक्ता का आगे का पक्ष यह है कि हटाए जाने का मामला ऐसी परिस्थितियों में से एक है, जिसके कारण कर्मचारी बैंक की सेवा में नहीं रह जाता है और विनियम–67 के स्पष्ट वाचन के अनुसार, ऐसा कर्मचारी, जो हटाए जाने के कारण रोजगार में नहीं रह जाता है, अवकाश नकदीकरण का हकदार नहीं है।

16. चूंकि विनियम–67 के प्रावधान किसी कर्मचारी को अवकाश नकदीकरण का लाभ लेने से विशेष रूप से वंचित नहीं करते हैं, यदि उसे सेवा से हटा दिया गया है, इसलिए विनियम–67 के तीसरे प्रावधान की आड़ में, किसी कर्मचारी को अवकाश नकदीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. नियोक्ता द्वारा विनियमन–67 की ऐसी व्याख्या स्वीकार्य नहीं है, विशेषकर तब, जब नियोक्ता कर्मचारी को संपत्ति के उसके वैध अधिकार से वंचित करना चाहता है, जिसे उसने अपने संपूर्ण सेवाकाल के दौरान कर्तव्यों का पालन करने के पश्चात अर्जित किया है।बैंक का यह रुख कि "यदि वह सेवामुक्त नहीं रहता है" शब्द में इस न्यायालय की राय में निष्कासन के मामले भी शामिल हैं, टिकने योग्य नहीं है, क्योंकि विनियमन–67 में प्रत्येक दंड को निर्दिष्ट करने के लिए विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अंततः स्वामी–सेवक संबंध समाप्त हो जाता है।विशेष रूप से, जब छुट्टी नकदीकरण को रोकने के संबंध में निर्णय मुद्दा हो, जो निर्विवाद रूप से एक कर्मचारी का अधिकार है।

18. अब, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में विनियमन–67 की व्याख्या के संबंध में प्रतिवादियों की दलीलों पर विचार करने के लिए, विनियमन–72 के प्रावधानों को भी समझना उचित होगा। विनियमन–72 में ग्रेच्युटी का प्रावधान है और उक्त विनियमन में, बैंक कर्मचारी के अधिकार को मान्यता देते हुए, कर्मचारी को ग्रेच्युटी के वितरण की अनुमति देता है।इसलिए, जब अवकाश नकदीकरण के साथ–साथ ग्रेच्युटी भी याचिकाकर्ता की संपत्ति है, इसलिए, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, विनियमन–67 की एक सीमित व्याख्या न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद–300–ए के प्रावधान के साथ सीधे टकराव में होगी, बल्कि नियोक्ता को मनमाने तरीके से आदेश पारित करने की गुंजाइश भी देगी। उत्तरवादी /बैंक ग्रेच्युटी के साथ–साथ अवकाश नकदीकरण के मामलों में भेदभाव का सहारा नहीं ले सकता है।जब बैंक स्वयं यह अनुमति देता है कि बर्खास्तगी के दंड पर भी, यदि बैंक को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है, तो कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार है, तो वर्तमान मामले में, जब निर्विवाद रूप से बैंक को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है, विनियमन–67 के स्पष्ट रूप से

मौन प्रावधानों की आड़ में, याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था, जो न केवल उसका वैधानिक अधिकार है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300–ए के प्रावधानों के दायरे में भी आता है।

19. इस न्यायालय ने दिनांक 26/03/2025 के आदेश द्वारा प्रतिवादी/बैंक को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जिसमें कहा गया हो कि समाप्ति/अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सभी मामलों में, बैंक कर्मचारियों द्वारा हकदार अवकाश नकदीकरण को जब्त कर रहा है। उक्त आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी/बैंक ने 05/04/2025 को अपना हलफनामा दायर किया जिसमें पैरा 4 में निम्नानुसार कहा गया:---

"4. अप्रैल 2020 से अब तक केवल तीन मामले ऐसे हैं जिनमें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी/अधिकारी को अवकाश नकदीकरण का पूरा/आंशिक लाभ दिया गया है क्योंकि अधिकारियों ने आरोपों को देखते हुए दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध नरम रुख अपनाने का निर्णय किया था। यहाँ उल्लिखित तीन मामलों के अलावा अप्रैल 2020 से 6 और मामले हैं जिनमें बैंक ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया है और वर्तमान मामले की तरह ही अवकाश नकदीकरण की राशि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जब्त कर ली गई थी क्योंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उत्तरवादी /बैंक के हलफनामे से यह स्पष्ट है कि वे अपनी मनमानी कर रहे हैं और नियम, 2013 के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार, उत्तरवादी अधिकारियों का उक्त कृत्य पूरी तरह से अवैध, मनमाना है और विधि की दृष्टि में मान्य योग्य नहीं है।

21. यदि विनियमन–67 के संबंध में उत्तरवादी/बैंक द्वारा सुझाई गई व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है, तो इसका परिणाम नियोक्ता के हाथों बेलगाम और मनमौजी शक्तियों के प्रयोग के रूप में सामने आएगा और फिर इसका सीधा प्रभाव कर्मचारी की संपत्ति अर्थात अवकाश के नकदीकरण पर पड़ेगा।

22. वर्तमान मामले में, विनियमन–67 के प्रावधान निस्संदेह स्पष्ट नहीं हैं और दंड की प्रकृति के बारे में पूरी तरह से मौन हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्वामी–सेवक संबंध समाप्त हो जाता है।विनियमन–67 की व्याख्या, जो नियोक्ता के अनुकूल है, स्वीकार्य नहीं है, खासकर तब, जब ऐसी व्याख्या किसी कर्मचारी को अवकाश के नकदीकरण के अधिकार से वंचित करती है।

23. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए तथा ऊपर वर्णित कारणों से, उत्तरवादी/बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को स्वीकार्य अवकाश नकदीकरण की राशि इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर जारी करे।

24. परिणामस्वरूप, रिट याचिका को ऊपर दर्शाई गई सीमा तक स्वीकृति दी जाती है।

सही/–
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हेडनोट :

पेंशन और अवकाश नकदीकरण जैसे लाभ कर्मचारी द्वारा अर्जित किए जाते हैं और इसलिए, एक बार ऐसे लाभ अर्जित हो जाने पर, वे कर्मचारी की संपत्ति बन जाते हैं और यदि किसी कर्मचारी को ऐसी संपत्ति से वंचित किया जाता है, तो इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों में विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना***

जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur